संख्या-285/2016/1623/22-2-2016-17(354)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 16 दिसम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवराज सिंह पुत्र श्री छोटे सिंह, निवासी-जनपद-इटावा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34884/प्रो0-5-दयायाचिका समिति की बैठक-12-09-2016, दिनांक 26.09.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवराज सिंह पुत्र श्री छोटे सिंह, निवासी-विनायकपुर, थाना-बकेवर, जिला-इटावा का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुलिस की मुखबरी के शक में अपहरण कर दिनांक 31/01-09-2002 को बन्दी ने अपने 13 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, लाठी व डण्डा से 02 व्यक्तियों की हत्या तथा 02 को घायल कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-416/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148,364,307,149,302 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, दस्यू प्रभावित क्षेत्र, इटावा के आदेश दिनांक 30-07-2010 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 10 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे है, 01 अन्य सहअभियुक्त की मृत्यु तथा 02 अन्य सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त। बन्दी द्वारा दिनांक 20.05.2016 तक 05 वर्ष 09 माह 22 दिन की अपरिहार एवं 07 वर्ष 08 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, बन्दी की आर्थिक दशा ठीक न होने एवं बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बन्दी की कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी शिवराज सिंह (बन्दी संख्या-25786) पुत्र श्री छोटे, निवासी-जनपद-इटावा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-285/2016/1623/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in